

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र0क0486/बी-121/12-13

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदक गनपत सिंह आ0 श्री रामसिंह निवासी गेहूँखेडा तहसील हुजूर भोपाल, द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, खसरे की नकल, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर ग्राम गेहूँखेडा, हल्का पटवारी नं. 28 की भूमि खसरा क्रमांक 66/2 रकबा 0.04 हे0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा है।

— उक्त भूमि के संबंध में पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 16/05/13 अनुसार ग्राम गेहूँखेडा, हल्का पटवारी नं. 28 की भूमि खसरा क्रमांक 66/2 रकबा 0.04 हे0 वर्तमान अभिलेख में गनपत सिंह पुत्र श्री रामसिंह, के नाम से दर्ज है, रीनम्बरिंग सूची अनुसार खसरा क्रमांक 66 का बन्दोबस्त पूर्व का खसरा क्रमांक 24-25 है, जो वर्ष 1959 में निजी स्वत्व होकर शासकीय भूमि नहीं थी।

अतः पटवारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व की होकर अशासकीय भूमि है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल यह प्रमाणित करता है कि शासकीय अभिलेखों के अनुसार यह भूमि शासकीय नहीं है। नगर निगम भोपाल एवं नगर ग्रामीण नियोजन विभाग तथा अन्य कार्यालय द्वारा स्वीकृत योजना एवं नक्शे के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनापत्ति प्रमाण पत्र यह प्रमाणित नहीं करता है कि :-

1. उक्त भूमि का भूमि स्वामी आवेदक है तथा।
2. उक्त भूमि अधीन भूमि सीमा अधिनियम 1976 प्रावधानों से मुक्त है तथा।
3. उक्त भूमि पर यदि किसी प्रकार का निर्माण विकास कार्य किया जाता है तो वह मास्टर प्लान के अनुरूप होगा यह प्रमाण पत्र केवल यह पुष्टि करता है कि उक्त भूमि शासकीय नहीं है।

इस दस्तावेज में कोई कांट, छांट, नहीं है यह अनापत्ति प्रमाण पत्र एक वर्ष तक वैध रहेगा

5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण या सत्यापन नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी प्रकार के भूमि/स्वत्व संबंधी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त हो जावेगा



राजे शर्मा
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल
तहसील हुजूर, भोपाल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र0क0 328/बी-121/12-13

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदक गनपत सिंह आ0 श्री रामसिंह निवासी गेहूँखेडा तहसील हुजूर भोपाल द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, खसरे की नकल, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर ग्राम गेहूँखेडा, हल्का पटवारी नं. 28 की भूमि खसरा क्रमांक 57/1/1ख, 59, 65/1, 66/1 रकबा क्रमशः 0.010, 0.110, 0.090, 0.890 कुल रकबा 1.100 हे0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा है।

— उक्त भूमि के संबंध में पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 10/04/13 अनुसार ग्राम गेहूँखेडा, हल्का पटवारी नं. 28 की भूमि खसरा क्रमांक 57/1/1ख, 59, 65/1, 66/1 रकबा क्रमशः 0.010, 0.110, 0.090, 0.890 कुल रकबा 1.100 हे0 वर्तमान अभिलेख में गनपत सिंह, मनमोहन, राधेश्याम पुत्रगण श्री रामसिंह, एवं मुकेश, नेमीचंद पुत्रगण गनपत सिंह के नाम से दर्ज है, रीनम्बरिंग सूची अनुसार खसरा क्रमांक 57, का बन्दोबस्त पूर्व का 24-25/1/1/3/1 एवं खसरा नं. 59 का बन्दोबस्त पूर्व का खसरा क्रमांक 24-25/1/1/4/1/2 एवं खसरा क्रमांक 65 का बन्दोबस्त पूर्व का खसरा क्रमांक 24-25/1/1/4/1/5/2 एवं खसरा क्रमांक 66 का बन्दोबस्त पूर्व का खसरा क्रमांक 24-25/1/1/3 है, वर्ष 1959 में ये भूमियां खसरा नम्बर 24-25 के रूप में दर्ज होकर भूमि स्वामी स्वत्व पर थी अर्थात् शासकीय भूमियां नहीं थी।

अतः पटवारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व की होकर अशासकीय भूमि है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल यह प्रमाणित करता है कि शासकीय अभिलेखों के अनुसार यह भूमि शासकीय नहीं है। नगर निगम भोपाल एवं नगर ग्रामीण नियोजन विभाग तथा अन्य कार्यालय द्वारा स्वीकृत योजना एवं नक्शे के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनापत्ति प्रमाण पत्र यह प्रमाणित नहीं करता है कि :-

1. उक्त भूमि का भूमि स्वामी आवेदक है तथा।
2. उक्त भूमि अधीन भूमि सीमा अधिनियम 1976 प्रावधानों से मुक्त है तथा।
3. उक्त भूमि पर यदि किसी प्रकार का निर्माण विकास कार्य किया जाता है तो वह मास्टर प्लान के अनुरूप होगा यह प्रमाण पत्र केवल यह पुष्टि करता है कि उक्त भूमि शासकीय नहीं है।
4. इस दस्तावेज में कोई कांट, छांट, नहीं है यह अनापत्ति प्रमाण पत्र एक वर्ष तक वैध रहेगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण या सत्यापन नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी प्रकार के भूमि/स्वत्व संबंधी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

10/11/13
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल
तहसील हुजूर, भोपाल

कार्यालय भोपाल-विकास प्राधिकरण भोपाल

क्र. 224/02/मु.वि./भो.वि.प्रा./13

भोपाल दिनांक 03/06/2013

अनापत्ति प्रमाण पत्र

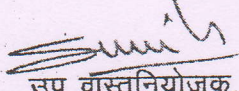
नि.सि. द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण की अनापत्ति बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है :-

आवेदक का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा क्र.	रकबा क्र.
श्री गनपत सिंह	हुजूर	गेहूँखेडा	57/1/1/ख, 59, 65/1, 66/1, 66/2	1.140 हे०

वर्तमान में प्रश्नाधीन खसरों पर प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है। अतः उक्तानुसार वर्णित भूमि के संबंध में अनापत्ति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

1. जब कभी भी भोपाल विकास प्राधिकरण की योजना उपरोक्त उल्लेखित भूमि से लगकर प्रस्तावित की जावेगी तब नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा सक्षम मार्ग संरचनाएं एवं सेवाएं सुविधा आदि की दृष्टि से योजना का उपरोक्त वर्णित भूमि से समन्वय (coordination) करने में कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।
2. उपरोक्त वर्णित भूमि से लगकर भोपाल प्राधिकरण की योजना अधिसूचित/क्रियान्वित होने की स्थिति में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 59 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित विकास प्रभार राशि भोपाल विकास प्राधिकरण के सक्षम जमा करने के लिये सहमत है।
3. प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामित्व का परीक्षण नहीं किया जाता है। मात्र यह उल्लेख किया जाता है कि योजना में उक्त खसरे हैं या नहीं। अतः स्वामित्व का परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जावे।
4. सह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।

(मु०का०अधि० द्वारा अनुमोदित)

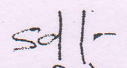

उप वास्तुनियोजक,
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल।

पृ.क्र. /02/मु.वि./भो.वि.प्रा./13

भोपाल दिनांक...../...../2013

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल को सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को सूचनार्थ।


उप वास्तुनियोजक,
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल।